न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 553/2018

प्रार्थीः– बनाम अप्रार्थीगणः–

1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली — 1. श्री सायर कंवर पत्नि श्री मांगूसिंह जाति रजपूत निवासी हाथलाई

उपस्थितिः–

1. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक 23.12.2019

1. प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सायर कंवर पत्नि मांगुसिंह जाति रजपूत निवासी हाथलाई तहसील पाली जिला पाली द्वारा ग्राम गुन्दोज प्रथम खसरा नम्बर 848/9 रकबा 1.01.10 किस्म बारानी सोयम भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं ग्राम गुन्दोज प्रथम के खसरा नम्बर 848/9 रकबा 1.01.10 बिघा बारानी सोयम के खातेदार सायर कंवर पत्नि मांगुसिंह जाति रजपूत निवासी गुन्दोज द्वारा ग्राम गुन्दोज प्रथम में कृषि भूमि पर वगैराह संपरिवर्तन के स्वरूप बदंल किया जाकर मौके पर आवासीय पक्का मकान एवं निमार्ण कराकर भूमि मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती है। अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नही करें। इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित पाबन्द करना आवश्यक है।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं कर बहस करना चाहा।

4. बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

5. तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार) ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सायर कंवर पत्नि मांगुसिंह जाति रजपूत निवासी हाथलाई तहसील पाली जिला पाली द्वारा ग्राम गुन्दोज प्रथम खसरा नम्बर 848/9 रकबा 1.01.10 किस्म बारानी सोयम भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं ग्राम गुन्दोज प्रथम के खसरा नम्बर 848/9 रकबा 1.01.10 बिघा बारानी सोयम के खातेदार सायर कंवर पत्नि मांगुसिंह जाति रजपूत निवासी गुन्दोज द्वारा ग्राम गुन्दोज प्रथम में कृषि भूमि पर वगैराह संपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर आवासीय पक्का मकान एवं निमार्ण कराकर भूमि मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती है। अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

इत्यादि नही करें। इस हेतु अप्रार्थीगण को अरथाई निषेधाज्ञा पारित पाबन्द करना आवश्यक है।

6. विद्व विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की तहसीलदार पाली द्वारा जो तथ्य बताये गये है उनसे में असहमत हुँ क्योकि मौके पर कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य करने हेतू किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः आप अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं करें। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावें।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम गुन्दोज प्रथम खसरा नम्बर 848/9 रकबा 1.01.10 किस्म बारानी सोयम भूमि कृषि स्थित है। तथा सरकारी पैरोकार तहसीलदार पाली ने बताया कि उक्त कृषि भूमि पर आवासीय पक्का मकान एवं निमार्ण कराकर भूमि मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती है। इस कारण उक्त कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी किसी प्रकार का अकृषि कार्य अप्रार्थी न तो स्वंय करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर चाकर एजेंट इत्यादि के माध्यम से करावें तथा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति का अप्रार्थी बनाये रखें।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.10 16:57:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: